

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड बारां

क्रमांक : 2438

दिनांक : 3.3.16

राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त कोटा द्वारा खण्ड बारां के अधीन आवासीय योजना अट्रू में विभिन्न आय वर्गों के आवासों की खुली बिक्री योजना में नकद भुगतान/किराया क्रय पद्धति पर

योजना प्रारम्भ तिथि
दिनांक 15.03.2016

आवास प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर

योजना की अन्तिम तिथि
दिनांक 29.04.2016


इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध आवासों की संख्या, माप व लागत का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवासों की श्रेणी	उपलब्ध आवासों की संख्या	माप (मीटर में)	आवास की कुल लागत ₹	आवेदन पत्र के साथ देय पंजीकरण एवं एक अग्रिम पूर्वग्रहण राशि तथा प्रोसेसिंग फीस ₹	किराया क्रय पद्धति के आवेदन पर सेवाकर राशि आवेदन पत्र के साथ देय ₹	किराया क्रय पद्धति लिए			नगद भुगतान पद्धति (3 माह में) ₹
							एक माह के अन्दर देय राशि ₹	किश्तों की संख्या	किश्त की राशि मय सेवा कर ₹	
आवासीय योजना अट्रू										
1	घरौंदा	03	3.75X8.00	178400	12500	509	28968	240	1415	169309
2	आ.दू.क. आय वर्ग	11	3.75X11.25	528500	12500	509	105280	240	4189	520306
3	अल्प आय वर्ग	02	6.00X15.00	869700	25700	1010	171393	240	8436	852959
4	मध्यम आय वर्ग 'अ'	03	8.00X15.00	1409000	91000	—लागू नहीं—				1373310
5	मध्यम आय वर्ग 'ब'	03	9.00X18.00	1906100	151500	—लागू नहीं—				1831186
6	उच्च आय वर्ग	01	10.50X18.00	2180500	222000	—लागू नहीं—				2049300

नोट :- उपरोक्त लागत के अतिरिक्त मण्डल नियमानुसार लीज राशि, अतिरिक्त भूमि (यदि कोई हो) की लागत व कोर्नर आवास के खर्च, ए.एस.सी. चार्ज तथा किराया क्रय पद्धति पर आवंटन की स्थिति में हायर परचेज, एक अग्रिम मासिक किश्त तथा नियमानुसार सेवाकर अलग से देय होंगे। अन्य शर्तें आवेदन पत्र अनुसार एवं मण्डल नियमानुसार मान्य होगी एवं मण्डल के सम्बन्धित कार्यालय अथवा मण्डल की वेबसाईट www.rhonline.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती हैं।

--: सम्पर्क सूत्र ::--

- 1- उप आवासन आयुक्त राज0आवा0मण्डल कोटा वृत्त कोटा दूरभाष नम्बर 0744-2500721, 2500685
- 2- आवासीय अभियन्ता राज0आवा0मण्डल खण्ड बारां दूरभाष नम्बर 07453-230456
- 3- परियोजना अभियन्ता (वरि0) राज0आवा0मण्डल उपखण्ड अट्रू मो. नं. 9414317357


आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल,
खण्ड - बारां